(23)

न्यायालय तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: चन्द्र शेखर (तहसीलदार)

मिसल नं. ::: 64 / 2024

सरकार बनाम नागरमल पुत्र मातुराम जाति खाती, निवासी जाटों का मोहल्ला, सूरजगढ़।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 07.10.2024

## निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गै़र सायल उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल नागरमल पुत्र मातुराम जाति खाती, निवासी जाटों का मोहल्ला, सूरजगढ़, द्वारा रोही मौजा सूरजगढ़ की भूमि ख.नं. 349 के कुल रकबा 3.29 है0 किस्म गै.मु. रास्ता में से रकबा 0.030 है0 भूमि पर तारबाड़ कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया। जवाब के साथ माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सूरजगढ़ के स्थगन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की तथा उक्त खसरा नम्बर में अपना अतिक्रमण नहीं होना बताया । गैर सायल द्वारा पेश जवाब और स्थगन आदेश के संबंध में भू0अ0नि0 सूरजगढ़ तथा पटवारी हल्का सूरजगढ़ से पुनः मौके व रिकॉर्ड की जांच करवायी गयी। जिसमें भू0अ0नि0 सूरजगढ़ तथा पटवारी हल्का सूरजगढ़ द्वारा तारबाड़ कर अतिक्रमण करना बताया। गैर सायल द्वारा अपने कब्जे के विधिक होने के समर्थन में अन्य कोई साक्ष्य/सबूत पेश नही किया। गैर सायल का जवाब संतोषप्रद नहीं माना जा सकता है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 9 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी /गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० हैं० स० 4 के पृष्ठ सं. ......195...... पर
दर्ज 25.10.25 में रुपये 09/- कायम किए
राजस्व लेखाकार

( चन्द्र शेखर )
तहसीलदार, सूरजगढ़

3. यह कि गैर ...